न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 74 / 2012

1. सुभाष पुत्र ख्यालीराम जाति जाट नि0 ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. प्रदीपकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट नि0 ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. विनोद पुत्र शिला (फौत) पत्नि दुलीचन्द जाति जाट नि0 सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ

––अपीलांट

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट नि0 ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. गुलाबी देवी पत्नि चुन्नीराम पुत्री ख्यालीराम जाति जाट नि0 मिठनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)
3. शिमला पुत्री काशीराम जाति जाट नि0 ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. अल्का पुत्री काशीराम जाति जाट नि0 ढाबां तहसील संगरिया
5. गोमती पत्नि साहबराम जाति जाट नि0 ढाबां तहसील संगरिया
6. कमला पत्नि दलीचन्द पुत्री ख्यालीराम जाति जाट नि0 सहजीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
7. विमला पत्नि कृष्णलाल पुत्री ख्यालीराम जाति जाट नि0 नजदीक जोईया मेडीकल स्टोर इन्दिरा कालोनी, बीकानेर

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
दिनांक 28.01.2014 प्रकरण संख्या 63 / 2013

उपस्थितिः–

श्री महेन्द्रसिंह सन्धु, अभिभाषक अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः– 30.01.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादी/ रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रतिवादीगण/रेस्पोडैन्ट संख्या 3 व 4 के विरूद्व पेश कर कथन किये कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण के नाम तहसील संगरिया के चक नं0 10 बी जी पी के खाता संख्या 29/29 में 1.307 हैक्टयर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज है, इसके अलावा वादी व प्रतिवादीगण की चक 11 बी जी पी व 4 बी जी पी व 2 एस एन जी में पडती है। चक 4 बी जी पी के खाता संख्या 31/31 में 1.316 हैक्टयर कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में है जोकि पिछले 30 वर्षो से लगातार बिना किसी बाधा के है उक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण को वैरासतन प्राप्त हुई है इस कारण उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से वादी का जन्म से हक निहित है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व घराधरू बंटवारा हुआ जिसमें 4 बी जी पी खाता संख्या 31/31 की 1.316 हैक्टयर कृषि भूमि वादी को व चक 11 बी जी पी व 2 एस एन जी की कृषि भूमि प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से तथा प्रतिवादीगण अन्य लोगों के बहकावे में आकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अगर प्रतिवादीगण उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन बैय या किसी अन्य प्रकार से अन्तरित कर देती है तो वादी के हितों पर कुठाराघात होगा। इसलिए वादी चक 4 बी जी पी के खाता संख्या 31/31 की 1.316 हैक्टयर भी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी व दावेदार है। अतः घोषणा फरमाई जावे कि वादी चक 4 बी जी पी के खाता संख्या 31/31 में 1.136 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण का चक 10 बी जी पी के खाता संख्या 29/29 मं 1.316 है0 कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर हिस्सा कम किया जावे। प्रतिवादीगण/रेस्पोडैन्ट संख्या 3 व 4 ने उपस्थित होकर इकबाल दावा प्रस्तुत किया व वाद वादी डिक्री किये जाने में कोई उज्र एवं एतराज नही होने के कथन किये।

2. अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.01.2014 को वादी/रेस्पो0सं0 1 का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के साथ बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

3. रेस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन भिजवाये गये, रेस्पाडेन्टस स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही आया इसलिए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि वादी द्वारा अपने वाद में प्रश्नगत् भूमि विरास्तन प्राप्त हुई है, उक्त भूमि पुश्तैनी होने के नाते वादी का हक जन्म से निहित है। भूमि पुश्तैनी होने के नाते अपीलांट का भी इस भूमि में हक निहित था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार नही बनाया व बिना सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये कार्यवाही एकतरफा द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण भी रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने अपने नाम करवा लिया है। चूंकि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही थे इसलिए अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री का कोई ज्ञान नही था व ज्ञान होते ही उक्त अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील स्वीकार फरमाई जावे व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी चक 4 वी जी पी के खाता संख्या 31/31 की 1.316 हैक्टेयर भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतू प्रस्तुत किया गया था व आधार यह अंकित किया था कि प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति है व घराघरू बंटवारा में वादी को प्राप्त हुई है तथा प्रश्नगत् भूमि पर 20 वर्षो से उसका कब्जा चला आ रहा है। वादी/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत् भूमि जद्दी जायदाद है तथा न तो रेस्पोडैन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष घराघरू बंटवारा जैसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तथा न ही प्रश्नगत् भूमि पर रेस्पोडैन्ट का साधिकार कब्जा सम्बन्धी कोई सबूत प्रस्तुत किया गया है, केवल मात्र इकबालदावा प्रस्तुत कर देने से यह नही माना जा सकता कि प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति है व पैतृक सम्पति होने से वादी का हित निहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय का आधार इकबालदावा होना व कोई विरोध नही होना अंकित किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को अपीलधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस आश्य की पूर्णतयः जांच की जानी

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाहिए थी कि क्या प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति है या नही लेकिन अधिनस्थ न्यायलय ने भूमि पैतृक होने सम्बन्धित कोई जांच नही की गई। ऐसे किसी इकबालदावा के आधार पर "जिससे पक्षकारान के हितों के साथ साथ राजस्व का भी हनन होता हो" भूमि हस्तांतरित किये जाने की डिक्री पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

7. अतः यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2014 अपास्त किये जाते हैं व पत्रावली इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाती है कि वह सभी प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत् भूमि पैतृक सम्पति होने के बिन्दु पर पुनः परीक्षण कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30/1/19

मूल चन्द (आर0ए0एस0)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज०)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official